कृषि अनुसंधान केन्द्र

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)

नौगावां, अलवर–301025 (राजस्थान)

डॉ. गोपाल लाल चौधरी
क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान)

ई–मेलः zdr.navgaon@sknau.ac.in
दूरभाषः 01468-296600
मोबाइल नं.: 9413231557

क्रमांकः एफ.(प्रक्षेत्र भंडार) / कृ.अनु.के.नौगावां / 2025–26 / **238** दिनांकः **03.10.2025**

खुली निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां के लिए कृषि उपकरण / मशीनरी आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं / फर्मों से निर्धारित प्रपत्र मे दिनांकः 10.10.2025 को प्रातः 11:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500 / – क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (Zonal Direcor Research, ARS Navgaon) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक या नगद भुगतान कर दिनांकः **10.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांकः **10.10.2025 को प्रातः 11:30 बजे तक जमा होगें।** प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **दोपहर 12.30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	आवश्यक उपकरण / मशीनरी का विवरण	आवश्यक संख्या	अनुमानित लागत (रू)	प्रतिभूति राशि (रू)
1.	रोटावेटर (8 फिट)	01	2,80,000 / –	5,600 / –
2.	चीजल हल (7 हल)	01		
3.	डिस्क प्लाऊ (3 डिस्क)	01		

NIB code: **SKN2526A0235**, UBN: **SKN2526GSOB00245**

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा के दिन अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को विश्वविद्यालय पोर्टल www.sknau.ac.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित करने का श्रम करावें।
4. समस्त निविदा समिति सदस्य .... कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर।
5. प्रक्षेत्र प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबंधक / भंडारपाल / लेखा शाखा / स्थापना शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर।
6. सूचना पट्ट कृषि अनुसंधान केन्द्र / कृषि महाविद्यालय / कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगावां, पंचायत समिति / तहसील कार्यालय, नौगावां / रामगढ़, ग्राम पंचायत, नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
7. रक्षित / निविदा पत्रावली।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रपत्र – अ

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा के नियम व शर्ते

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. फर्म के GST पंजीकरण एवं PAN Card की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर (प्रपत्र–'द') प्रमाण पत्र सी.ए. प्रमाणित मय UDIN के साथ प्रस्तुत करे।
4. वित्तीय बोली को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज (तकनीकी बिड) तथा निविदा शुल्क अगर पहले से कार्यालय में जमा नहीं करवाया है तो बोली प्रतिभूति राशि रू 5,600/– या प्रतिभूति राशि जो नियमानुसार दये हो तथा वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा शुल्क रू 500/– का नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (Zonal Direcor Research, ARS Navgaon) के पक्ष में देय हो को लिफाफा संख्या 1 में रखे।
5. लिफाफा संख्या 2 में केवल वित्तीय बिड रखें। वित्तीय बिड तभी खोली जावेगी जब निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहेगा।
6. दोनों लिफाफों (01 व 02) को एक अन्य सीलबंद लिफाफे में रखे तथा लिफाफे के उपर "कृषि उपकरण/मशीनरी आपूर्ति हेतु निविदा" लिखकर व अपना पूर्ण विवरण मय नाम एवं पता लिखकर कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां के कार्यालय में दिनांकः 10.10.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
7. अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेंगा।
8. निविदा में किसी प्रकार की कॉट–छॉट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
9. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। आपूर्ति आदेश के उपरान्त निर्धारित तकनिकी मापदण्डो के अनुसार सामग्री आपूर्ति पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) का होगा।
11. न्यूनतम निविदा, जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
12. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई दरों में अगर समानता होती है तो निविदा समिति, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
13. प्राप्त निविदाएं दिनांकः **10.10.2025** को **दोपहर 12:30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेंगी।
14. सफल निविदादाता को दिए गए तकनिकी मापदण्डो के अनुसार सभी कृषि उपकरणों/मशीनरी की **आपूर्ति कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा (अलवर)–301025 पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 20 दिन के भीतर** करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा

नियमों व अन्य प्रचलित नियम के अनुसार राशि {Liquidated damage (2.50 to 10 Percent)} वसूल की जाएगी।

15. सफल निविदादाता के पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहने पर क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित आपूर्ति अन्य फर्म से ले सकेंगे तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) राशि जब्त की जा सकेगी।

16. आपूर्ति किये जाने वाले सभी कृषि उपकरण/मशीनरी उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है।

17. निविदादाता को आपूर्ति पश्चात सभी उपकरणों की सम्पूर्ण तकनिकी जानकारी तथा उनका संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देनी होगी।

18. सामान आपूर्ति के साथ बिल क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) के नाम प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गए सभी कृषि उपकरणों/मशीनरी/सामानों का उपापन समिति द्वारा तकनिकी मापदण्डों के अनुसार सही पाए जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। बिल का भुगतान कोष कार्यालय से बिल पास होने के उपरांत किया जायेगा।

19. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (Zonal Direcor Research, ARS Navgaon) के नाम जमा करानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर केन्द्र द्वारा ब्याज का भूगतान नहीं किया जायेगा।

20. निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा** जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

21. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें सूचना राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम –68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

22. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र अलवर होगा।

23. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0–5 प्रतिशत और आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।

24. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।

25. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार कार्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Price Fall Clause प्रमाण पत्र (प्रपत्र–'स') भी संलग्न करना होगा ।

26. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड फर्म को निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र माना जाएगा (प्रपत्र–'ब') संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performence Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा।

27. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ–साथ सामग्री की गुणवत्ता को ठोस आधार माना जाएगा।

28. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्

   (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगाः–

   (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

   (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

29. हित का विरोध

   (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो ।

   (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, यदि वह इसमें सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

      (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक् या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हंस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों या

      (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा या

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है या

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है ।

3. कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि, –

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो ।

(ड़) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

30. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी करेंगे।

1 **अपील**ः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र – 'र' एवं 'ल') में अपील दाखिल कर सकेगा। बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा

दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है। परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा– सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया – नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्रारूपः**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र – 'र) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा ।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी –

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेंगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा ।

31. सत्यनिष्ठा संहिता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूॅंगा/रहेंगे।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय सील,

नाम
पता

मोबाइल नम्बर

प्रपत्र – ब

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जहां कही भी सामान उपलब्ध करवाया है, विगत 3 वर्षों में हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि हमारे विरूद्व किसी भी न्यायलय में सामान आपूर्ति से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – स

<u>Fall clause प्रमाण पत्र</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन संस्थाओं का जहां कही भी सामान उपलब्ध करवाया है, उस आपूर्ति में प्रष्नगत निविदा के क्रम में अनुबंध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतषाषी संस्था आदि को सामान की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही इस संस्थान से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – द

<u>वित्तीय विवरण</u>

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रूपये)
2022–2023	....
2023–2024	....
2024–2025	....

योग ....

....

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

प्रपत्र – य

Affidevit

(on non-judicial stamp paper of Rs. 100/-)

I ……………………………………… S/o …………………… aged ……… Years, residing at …………………………….. Proprietor/Partner/Director of M/s ……………………………………… do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s …………………………………….. has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center …………………… The acknowledgment No. is …………………..Dated …………… and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor/ Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I ……………………………………… S/o …………………… aged ……… Years, residing at …………………………….. Proprietor/Partner/Director of M/s ……………………………………… verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

प्रपत्र – र

FORM No. 1 (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………….. of ………………………………

Before the ……………………….. (First /Second Appeallate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority that passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Place ……………………………………. Date …………………………………

प्रपत्र – ल

FORM No. 1 (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………….. of ………………………………

Before the ……………………….. (First /Second Appeallate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Place …………………………………… Date …………………………………

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कृषि उपकरण/मशीनरी आपूर्ति हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र

(लिफाफा नं. 01)

निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

....

1. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां।
2. निविदा संदर्भ :
3. निविदा शुल्क रू .... नगद/चैक की जमा रसीद सं. ...., दिनांकः ....
4. प्रतिभूति राशि का विवरणः राशि ...., डी.डी./चैक/रसीद सं. ...., दिनांकः ....
5. निविदादाता का पैन नं.: .... (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
6. निविदादात का जी.एस.टी. नं. .... (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
7. निविदादाता को शर्तो पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर मय सील करने है।
8. प्रपत्र–व के अतिरिक्त सभी आवश्यक प्रपत्र एवं कागजात पूर्ण रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर करके लिफाफा नं. 01 में रखें।
9. प्रपत्र–व (वित्तीय निविदा) को निविदा को लिफाफा नं. 02 में रखें।
10. निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा करें।
11. उपरोक्त दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मान्य होगी।
12. आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर पर करनी होगी।
13. प्रतिभूति राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

तकनिकी मापदण्ड

S. No.	Name of machine/ material	Technical specifications	Qty.
1.	Rotavator	➢ Hitch Type: CAT-II, 3 Point of Linkage ➢ Allover width: 2400 mm ➢ Working width: 2360 mm ➢ No. of blades: 60 or more ➢ Type of blade: L type ➢ No. of Flanges: 10 ➢ No. of blades per flange: Min. 06 ➢ Size of shaft: 2400 x 46 mm ➢ Drive: Gear/chain ➢ Overall diamention: 2520 x 990 x 990 mm (L x W x H) ➢ Power required: 55 HP or more ➢ Minimum weight: 525 kg ➢ Warranty: Min. one year	01
2.	Chisel Plough	➢ Hitch Type: CAT-II, 3 Point of Linkage ➢ No. of chisel: 7 tynes ➢ Frame size: 80 x 80 mm ➢ Tyne size: 30 mm ➢ Working width: 1910 mm ➢ Working depth: 300 mm ➢ Minimum weight: 350 kg ➢ Warranty: Min. one year	01
3.	Disc Plough	➢ Hitch Type: CAT-II, 3 Point of Linkage ➢ No. of discs: 3 ➢ Type of disc: Plain ➢ Diameter of disc: Min. 660 mm ➢ Thickness of disc: Min. 6 mm ➢ Frame: Heavy duty tubular or box frame ➢ Working width: 75-90 cm ➢ Working depth: 250-300 mm ➢ Material of disc: High carbon steel ➢ Power required: 55 HP or more ➢ Minimum weight: 400 kg ➢ Warranty: Min. one year ➢ Accessories: Furrow wheel	01

*Warranty: All implements/machines should be supplied with at least 1 year warranty.

मै/मेरी फर्म .... हमारे यहां उपलब्ध उपकरण/मशीनरी/सामान के उक्त समस्त तकनिकी मापदण्ड पूर्ण करने हेतु बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – व

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कृषि उपकरण/मशीनरी आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम : ....
2. पता : ....

   ....
3. मोबाइल नंबर : ....
4. फर्म का जी.एस.टी. नंबर : ....
5. पैन नंबर : ....

क्र. स.	उपकरण/मशीनरी/सामान का नाम	दर प्रति नग (₹)	जी.एस.टी. दर (₹)	कुल दर प्रति नग सभी करों सहित (₹)
1	रोटावेटर (8 फिट)			
2	चीजल हल (7 हल)			
3	डिस्क प्लाऊ (3 डिस्क)			

नोटः– (1) निविदादाता अपने फर्म के जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें।
(2) निविदादाता अपने फर्म के लेटर हेड पर भी दरें प्रस्तुत कर सकता है परन्तु संपूर्ण विवरण भरकर इस निविदा प्रपत्र को भी साथ में संलग्न करें।

मैंने निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं समस्त शर्तों के अनुसार उपरोक्त दरों पर कृषि उपकरण/मशीनरी आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांकः **निविदादाता के हस्ताक्षर**